न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 25/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. श्योपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह,
2. बृजूसिंह पुत्र जगमाल सिंह,
3. गोकुल सिंह पुत्र जगमालसिंह
जाति राजपूत निवासीयान ग्राम खरखडा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

:–– वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2. तहसीलदार,बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर

:–– प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बानसूर दिनांक 23.1.2009

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांटस :– श्री शैलेन्द्र भार्गव
2. राजकीलय अभिभाषक:– श्री विनोद कुमार यादव

निर्णय दिनांक 25.5.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय सहायक कलेक्टर, बानसूर द्वारा राजस्व वाद संख्या 297/2001 उनवान श्योपालसिंह वगैरा बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.01.2009 के विरूद्ध है, जिनके द्वारा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि वादीगण संख्या 01 ता0 03 आपस में सगे भाई हैं और मृतक जगमाल सिंह पुत्र हिम्मतसिंह के पुत्र हैं । आराजी हाल खसरा नम्बर 478 रकबा 76 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम खरखडा तहसील बानसूर जो साबिक खसरा नम्बर 52 मिन रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, 54 मिन रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा, 55 मिन रकबा 01

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

बीघा 10 बिस्वा से बनाया गया है । सिवायचक आराजी साबिक नम्बर 54 मिन रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा में से 4 बीघा भूमि सम्वत 2020 में वादीगण के मृतक पिता रिटायर फौजी जगमाल सिंह को आवंटित की जाकर कब्जा दिया गया था, जो जमाबन्दी सम्वत 2019 में दर्ज है, परन्तु हाल बंदोबस्त में इस आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि उसको रेकार्ड एवं मौके के अनुसार इन्द्राज करना चाहिये था । अतः दावा डिक्री किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील वादीगण/अपीलांटस ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि प्रश्नगत आराजी साबिक खसरा नम्बर 54 मिन रकबा 72 बीघा 16 बिस्वा सिवायचक भूमि में से रकबा 4 बीघा भूमि हमारे पिता जगमाल सिंह को सेवानिवृत्त फौजी होने के नाते राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार सम्वत 2020 में आवंटित की गई थी । वरवक्त आवंटन कब्जा दे दिया गया था । उनके बाद आराजी पर हम काबिज चले आ रहे हैं । परन्तु बंदोबस्त हाल में इस आराजी को हाल खसरा नम्बर 478 में शामिल करते हुये सिवायचक दर्ज कर दिया । बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । उसे पुराने इन्द्राजात को सिर्फ दोहराने का ही अधिकार है । राज्य सरकार को तहत न्यायालय द्वारा जवाब पेश करने हेतु काफी अवसर दिये गये, परन्तु कोई जवाब पेश नहीं किया गया । इसका तात्पर्य यही है कि राज्य सरकार ने हमारे तथ्यों को एडमिट कर लिया है । एडमिट किये गये तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 में प्रतिपादित किया गया है । परन्तु फिर भी हमने दस्तावेजी साक्ष्य से वाद पत्र को साबित किया है । इसके बावजूद तहत न्यायालय ने गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर वाद पत्र डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन में 2011 आर0 आर0 डी0 818, 1984 आर0 आर0 डी0 185, 1993 आर0 आर0 डी0 44, 2006 आर0 बी0 जे0 205, 2001 आर0 बी0 जे0 170 का हवाला दिया ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने तर्क दिये कि वादीगण /अपीलांटस ने अपने वाद पत्र की ताईद में साक्ष्य पेश नहीं की है । ना तो आवंटन पत्र पेश किया गया है, ना ही दखलनामा पेश किया गया है । मात्र सम्वत 2020 की जमाबन्दी पेश की है, उसमें भी विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बेहड है । प्रश्नगत आराजी साबिक रेकार्ड में भी सरकारी भूमि थी और वर्तमान में चरागाह दर्ज है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत खातेदारी अधिकार देय नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2019 में साबिक खसरा नम्बर 54 मिन रकबा 77 बीघा पर काश्तकार के कॉलम में राजकीय भूमि का खाता दर्ज है तथा भूमि अधिकारी के कॉलम में मिलकियत सरकार का अंकन है । इस जमाबन्दी में 4 बीघा भूमि जगमाल सिंह को सम्वत 2020 में अलोट किये जाने का टिप्पणियों में लाल स्याही से अंकन किया हुआ है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

हाल नम्बर बनना पाये जाते हैं । खसरा गिरदावरी सम्वत 2055 में हाल खसरा नम्बर 478 को चारागाह दर्ज किया हुआ है । इसी प्रकार का अंकन जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में भी किया हुआ है । अपीलांटस/ वादीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था,परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । वादीगण की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में न तो वादीगण के बयान कराये गये हैं और न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया है । उनकी ओर से न तो आवंटन आदेश प्रस्तुत किया गया है और न ही फर्द कब्जा सुपुदर्गी प्रस्तुत किया गया है । मात्र जमाबन्दी के टिप्पणियों में अंकन के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि उन्हें आवंटित की गई है । वाद को साबित करने का भार वादीगण/अपीलांटस पर था तथा वादीगण/अपीलांटस वाद को साबित करने में पूर्णतया विफल रहे हैं । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2009 में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश प्रतीत नहीं होती है । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.01.2009 यथावत रखे जाते हैं ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

25/5/16

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– रामदेव सिंह, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 25/2009 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. श्योपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह,
2. बृजूसिंह पुत्र जगमाल सिंह,
3. गोकुल सिंह पुत्र जगमालसिंह
जाति राजपूत निवासीयान ग्राम खरखडा तहसील बानसूर जिला अलवर (राज0)

:–– वादीगण/अपीलांटस

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये जिलाधीश, अलवर
2. तहसीलदार,बानसूर बहैसियत लैण्ड होल्डर

:–– प्रतिवादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बानसूर दिनांक 23.1.2009

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांटस :– श्री शैलेन्द्र भार्गव
2. राजकीलय अभिभाषक:– श्री विनोद कुमार यादव

पर्चा डिक्री ——— दिनांक 25.5.2016

अपील अपीलांटस खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.01.2009 यथावत रखे जाते है ।

25/5/16.

(रामदेव सिंह)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner